



बिहार की खाद्य समस्या के समाधान के रूप में आर्द्रभूमियों की जलीय कृषि

वैज्ञानिकों के अनुसार आर्द्रभूमि वह भूमि हो जाती है, जहां वर्ष में 8 माह जल भरा रहता है। इस प्रकार जल से संतृप्त भूभाग को ही आर्द्रभूमि कहा जाता है। जिसमें से कुछ आर्द्रभूमि तो वर्ष भर आर्द्र रहते हैं, जबकि कुछ विशेष मौसम में ही आर्द्र भूमि हो पाते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि आर्द्रभूमि वह भूमि होती है जहाँ जल, पर्यावरण एवं इससे जुड़े पौधे तथा वन्य जीवन को नियंत्रित करने का प्राथमिक कारक होता है। वे वहां पाये जाते हैं जहां पानी का तल जमीन की सतह पर या इसके पास होता है अथवा जहाँ की भूमि पानी से भरी रहती है। ये पहले कभी पानी या भूमि की ओर परिवर्ती या क्रमिक चरणों में बदलते हुए वास स्थलों के रूप में माने जाते थे, किन्तु अब आर्द्रभूमियों को विशिष्ट पारिस्थितिकी विशेषताओं, कार्यों एवं मूल्यों के साथ अलग पारिस्थितिकी प्रणालियां माना जाता है।

आर्द्रभूमि वह भूमि होती है जो जलीय पारिस्थितिकीय प्रणालियों में, जहां जल का तल प्रायः जमीन की सतह पर अथवा जमीन की सतह के नीचे होता है या धरातल उथले जल के द्वारा आच्छादित रहता है, उसे आर्द्रभूमि कहते हैं, जो जलीय पारिस्थितिकीय प्रणालियों के मध्य संक्रमित होती है ये आर्द्र भूमियाँ बेकार नहीं है, बल्कि जल जैसे प्राकृतिक संसाधनों का सबसे समृद्ध हिस्सा हैं, जहाँ जलीय कृषि की जाती है, जो इस क्षेत्र के लोगों की अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत है। किन्तु वर्तमान समय में इन आर्द्रभूमियों का निरन्तर हास होता जा रहा है और इनके अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है, जबकि ये आर्द्र भूमियाँ प्रकृति के गुर्दे के समान हैं। अतः आवश्यकता इस बात की है कि इन आर्द्र भूमियों का नीतिगत आधार पर सुनियोजित तरीके से पुनरुद्धार कर बचाने का प्रयास किया जाय, ताकि

इस क्षेत्र की पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता सुरक्षित तथा संरक्षित रह सके तथा खाद्य समस्या का समाधान प्रस्तुत कर सके।

प्रस्तावना

वैज्ञानिकों के अनुसार आर्द्रभूमि वह भूमि हो जाती है, जहां वर्ष में 8 माह जल भरा रहता है। इस प्रकार जल से संतृप्त भूभाग को ही आर्द्रभूमि कहा जाता है। जिसमें से कुछ आर्द्रभूमि तो वर्ष भर आर्द्र रहते हैं, जबकि कुछ विशेष मौसम में ही आर्द्र भूमि हो पाते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि आर्द्रभूमि वह भूमि होती है जहाँ जल, पर्यावरण एवं इससे जुड़े पौधे तथा वन्य जीवन को नियंत्रित करने का प्राथमिक कारक होता है। वे वहां पाये जाते हैं जहां पानी का तल जमीन की सतह पर या इसके पास होता है अथवा जहाँ की भूमि पानी से भरी रहती है। ये पहले

कभी पानी या भूमि की ओर परिवर्ती या क्रमिक चरणों में बदलते हुए वास स्थलों के रूप में माने जाते थे, किन्तु अब आर्द्रभूमियों को विशिष्ट पारिस्थितिकी विशेषताओं, कार्यों एवं मूल्यों के साथ अलग पारिस्थितिकी प्रणालियां माना जाता है।

आर्द्रभूमि प्राकृतिक एवं मानव निर्मित मीठे पानी या खारे पानी वाली अनेक पारिस्थितिकी सेवायें प्रदान करती हैं। पक्षियों का घनत्व विशेष रूप से किसी आर्द्र भूमि की पारिस्थितिकी का वास्तविक संकेत होता है।

हमारे देश में अब तक 115 आर्द्र भूमियों की पहचान की गई है, जिनमें से मात्र 26 अधिसूचित हैं। 38 और आर्द्र भूमियों को चिन्हित किया गया है। हमारे देश के कुल क्षेत्रफल के 4.6 प्रतिशत भूभाग पर आर्द्रभूमि का विस्तार है। भारत सरकार द्वारा

“आर्द्रभूमि संरक्षण एवं प्रबन्धन अधिनियम-2010” के तहत आर्द्रभूमियों को 6 वर्गों में विभक्त किया गया है-

1. अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियां।
2. पर्यावरणीय आर्द्रभूमियां।
3. यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल आर्द्र भूमियां।
4. समुद्र तल से 2500 मी0 से कम ऊंचाई की ऐसी आर्द्रभूमि जो 500 हे. से अधिक क्षेत्रफल में फैली है।
5. समुद्र तल से 2500 मी. से अधिक ऊंचाई किन्तु 5 हे. से अधिक क्षेत्रफल में फैली आर्द्रभूमि।
6. ऐसी आर्द्रभूमियां जिनकी पहचान प्राधिकरण ने की है।

प्रस्तुत अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य बिहार की आर्द्रभूमियों को पहचान कर एवं उन्हें चिन्हित कर उनकी विशेषताओं एवं समस्याओं को प्रकाश में लाते हुए आर्द्रभूमियों में हो रही जलीय कृषि को भी प्रकाश में लाना है, ताकि इन आर्द्रभूमियों के विकास हेतु ऐसा नीतिगत आयोजन प्रस्तुत किया जा सके तथा इन आर्द्रभूमियों में होने वाली जलीय कृषि से पर्याप्त खाद्यान्न की आपूर्ति कर खाद्यान्न समस्या का समाधान किया जा सके।

प्रस्तुत अध्ययन में अवलोकनात्मक विश्लेषणात्मक एवं विवेचनात्मक विधितंत्रों का प्रयोग करते हुए अध्ययन को पूर्णता प्रदान की गई है।

विश्लेषण एवं व्याख्या

बिहार राज्य की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था पूर्णरूपेण कृषि पर आधारित है। साथ ही साथ यह ऐसा क्षेत्र है जहाँ आर्द्रभूमियों का विस्तार पर्याप्त क्षेत्र पर है, जिससे इस क्षेत्र की पारिस्थितिकी व्यवस्था जहाँ अभी भी अव्यवस्थित नहीं हुई है, वहीं आर्द्रभूमि के चलते इस क्षेत्र की जैविक विविधता भी समृद्ध है। इस क्षेत्र की आर्द्रभूमियाँ बिहार के लिए संसाधन का आधार हैं।

नेशनल वेटलैण्ड एटलस के अनुसार बिहार के 21 जिलों में आर्द्रभूमि का विस्तार है। इसरो द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय वेटलैण्ड्स एटलस के अनुसार बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 4.4 प्रतिशत अर्थात् 4,03,209 हेक्टेयर भूमि पर आर्द्रभूमि का विस्तार है, जिसमें से 4,416 बड़े आकार की आर्द्रभूमि हैं, जबकि 17,582 छोटे आकार की आर्द्रभूमि हैं, जो 2.25 हेक्टेयर से कम

क्षेत्र में फैली हुई हैं। कुल आर्द्रभूमि में से 92 प्रतिशत आर्द्रभूमि प्राकृतिक रूप से निर्मित है, जबकि 3.5 प्रतिशत आर्द्रभूमि मानव द्वारा निर्मित है। सबसे अधिक उत्तरी बिहार में कुल 2,69,418 हे. भूमि पर आर्द्रभूमि का विस्तार है, जो उत्तरी बिहार की कुल भूमि का 4.96 प्रतिशत है। कटिहार में सबसे अधिक 21,016 हेक्टेयर भूमि पर आर्द्रभूमि का विस्तार है, जो इस जनपद की कुल भूमि का 10.30 प्रतिशत क्षेत्र है। इसके बाद विस्तार की दृष्टि से पूर्वी चम्पारण, सारण, बेगूसराय एवं सुपौल का स्थान है। दरभंगा में कुल 8,709 हेक्टेयर भूमि पर आर्द्रभूमि है जो इस जिले की कुल भूमि का 3.48 प्रतिशत है। मुजफ्फरपुर जिले में 1,049 हेक्टेयर भूमि पर आर्द्रभूमि है, जो जिले की कुल भूमि का 2.60 प्रतिशत है, जबकि

सुपौल जिले में कुल 19,285 हेक्टेयर भूमि पर आर्द्रभूमि का विस्तार है, जो इस जिले की कुल भूमि के 4.7 प्रतिशत क्षेत्रफल पर है।

जिला	कुल आर्द्रभूमि (हे.में)	उत्तरी बिहार की आर्द्र भूमि का प्रतिशत	जिले की कुल भूमि का प्रतिशत
गोपालगंज	7,122	2.75	3.56
सिवान	7,105	7.74	3.21
सारण	21,170	8.16	8.07
मुजफ्फरपुर	10,490	4.04	3.36
वैशाली	17,148	6.61	8.60
दरभंगा	8,709	3.36	3.48
पश्चिमी चम्पारण	21,697	8.36	5.11
पूर्वी चम्पारण	12,477	4.81	3.00
शिवहर	1,476	0.57	3.33
सीतामगढ़ी	2,601	1.00	0.99
मधुबनी	8,958	3.45	2.58
सुपौल	19,285	7.43	6.46
अररिया	4,157	1.60	1.49
किशनगंज	10,954	4.22	5.65
पूर्णिया	12,401	4.78	3.87
कटिहार	31,011	11.95	10.30
मधेपुरा	3,539	1.36	1.97
सहरण	12,086	4.66	10.11
समस्तीपुर	15,022	5.79	5.82
बेगूसराय	20,365	10.78	4.49
खगड़िया	11,645	4.49	7.84

स्रोत-नेशनल वेटलैण्ड्स एटलस



आर्द्रभूमियों में अनेक प्रकार की जलीय कृषि की जाती है।

इन आर्द्रभूमियों में अनेक प्रकार की जलीय कृषि की जाती है, जिनमें मखाना एवं सिंघाडा का उत्पादन, मत्स्य पालन तथा विशेष प्रकार के चावल का उत्पादन प्रमुख है, जो इस क्षेत्र की घनी आबादी को

खाद्यान्न आपूर्ति में भरपूर सहायता करती है।

बिहार में स्थानीय भाषा में आर्द्रभूमि को ‘चौर’ या ‘चँवर’ कहा जाता है, जिसे पहले बेकार बंजर भूमि समझा जाता था, किन्तु यही आर्द्रभूमि आज

आमुख कथा

संसाधन के स्रोत बने हुए हैं और प्रायः प्रत्येक जिले में ऐसे 'चौर' (आर्द्रभूमियाँ) की पहचान कर ली गयी है। बिहार राज्य के वन एवं पर्यावरण विभाग के अनुसार केन्द्रीय एजेन्सियों की सहायता से किये गये उपग्रह मानचित्रण के जरिये 100 एकड़ से अधिक क्षेत्र में विस्तारित 133 आर्द्रभूमियों की पहचान कर ली गयी है और अन्य आर्द्रभूमियों की भी पहचान की जा रही है। 12 जिलों के 28 आर्द्र भूमि क्षेत्रों को अलग से चिन्हित कर लिया गया है। पहचान की गई आर्द्रभूमियाँ निम्नांकित हैं:-

तालिका-2 जलीय कृषि हेतु चिन्हित आर्द्रभूमियाँ

क्र. सं.	जिला	आर्द्रभूमि का नाम
1	पश्चिमी चम्पारण	ललसरेया
2	पूर्वी चम्पारण	मोती झील एवं करैया मन
3	मुजफ्फरपुर	मोनिका मैन, कोटिया शरीफ मैन एवं बन्यारा रहीबिन
4	सारण	मिरासपुर बहियारा एवं अतनगर मैन
5	सिवान	सुरला चौर एवं सलाह चौर
6	वैशाली	कंसार चौर, सलानेल जेल, महापारा, हरही झील, दीधी झील एवं गंगासागर झील में ताल बैरागा
7	समस्तीपुर	दरवल चौर, कबीरताल एवं बसही
8	कटिहार	गोगवेल एवं बागारबील
9	भोजपुर	भागवत एवं चरखी
10	बक्सर	कोलिया खाप
11	वेगूसराय	एकम्बा

स्रोत-वन एवं पर्यावरण विभाग, बिहार राज्य, पटना

बिहार की ये आर्द्रभूमियाँ यहाँ के पारिस्थितिकी तंत्र को सुव्यवस्थित रखने, जैव विविधता को बचाये एवं बनाये रखने, भूमिगत जल स्तर को कायम रखने एवं नदियों में भी जल के अस्तित्व को कायम रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अधिकांश आर्द्रभूमियों में वर्ष भर जल भरा रहता है एवं एक आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी की जितनी भी विशेषताएँ होती हैं, सभी इनमें पायी जाती हैं। इन आर्द्रभूमियों में न केवल जलीय जीव, बल्कि जलीय वनस्पतियाँ एवं विविध प्रकार के पशु-पक्षी पर्याप्त मात्रा में पाये जाते हैं। बिहार की जलीय पारिस्थितिकी एवं आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी इतनी समृद्ध है कि विदेशी पक्षी, खासतौर से साइबेरियाई रंग-बिरंगी पक्षी, सितम्बर से अक्टूबर तक यहाँ अपना डेरा जमा लेते हैं और फरवरी-मार्च तक अपना डेरा बनाये रखते हैं।

यद्यपि वर्तमान समय में स्थानीय कृषकों द्वारा अपने-अपने स्तर पर आर्द्रभूमि का विकास कर उनमें जलीय कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है और खास तौर से मखाना, सिंघाड़ा एवं चावल की ढेरों प्रजापति के उत्पादन के साथ ही साथ मत्स्य उत्पादन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिससे इन कृषकों की आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ हो रही है। मत्स्य पालन हेतु बड़े, मध्यम एवं छोटे सभी आकार की आर्द्रभूमियों को विकसित किया गया है। खास तौर से मुजफ्फरपुर जिले में बनका,

खरौना, मरवान, रुटिन्या, खजूरी मविन एवं पिरौछा तथा सुपौल जिले में कंडी चौर, दरभंगा जिले में देसुआ चौर एवं समस्तीपुर जिले में साझियाडपई आर्द्रभूमियों को विकसित किया जा चुका है।

तालिका-3 बिहार के प्रमुख जिलों में मत्स्य पालन हेतु विकसित आर्द्रभूमि

क्र.सं.	आर्द्रभूमि का नाम	क्षेत्रफल (एकड़ में)
1.	मुजफ्फरपुर जिला-	
	(i) वनका चौर	42
	(ii) खरौना चौर	26
	(i) मरवान चौर	22
	(iii) रुटिन्या चौर	18
	(iv) खजूरी चौर	28
	(v) पिरौदा चौर	7
2.	सुपौल जिला- कंडी चौर	12
3.	दरभंगा जिला- देसुआ चौर	34
4.	समस्तीपुर जिला- साझियाडपई चौर	12
5.	समस्तीपुर जिला के चौर	56

बिहार में 2016-17 में लगभग 5.10 लाख मीट्रिक टन मछली का उत्पादन हुआ, जो उपर्युक्त प्रयासों के चलते ही वर्ष 2017-18 में 5.35 लाख मीट्रिक टन मछली का उत्पादन किया गया, किन्तु बिहार में मछली की माँग 6.42 लाख मीट्रिक टन से भी अधिक है, जिसको देखते हुए 2021-22 के अंत तक मछली का उत्पादन बढ़ाकर 8 लाख मीट्रिक टन करने का लक्ष्य है। बिहार में मछली की प्रतिव्यक्ति खपत 7.7 किलोग्राम है। वर्ष 2009-10 में बिहार में मखाना की खेती 15,000 हे. भूमि पर की जाती थी, किन्तु वर्तमान समय में यह घटकर लगभग 10,000 हे. तक ही रह गयी है।

बिहार की ये आर्द्रभूमियाँ यहाँ के पारिस्थितिकी तंत्र को सुव्यवस्थित रखने, जैव विविधता को बचाये एवं बनाये रखने, भूमिगत जल स्तर को कायम रखने एवं नदियों में भी जल के अस्तित्व को कायम रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अधिकांश आर्द्रभूमियों में वर्ष भर जल भरा रहता है एवं एक आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी की जितनी भी विशेषताएँ होती हैं, सभी इनमें पायी जाती हैं। इन आर्द्रभूमियों में न केवल जलीय जीव, बल्कि जलीय वनस्पतियाँ एवं विविध प्रकार के पशु-पक्षी पर्याप्त मात्रा में पाये जाते हैं। बिहार की जलीय पारिस्थितिकी एवं आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी इतनी समृद्ध है कि विदेशी पक्षी खासतौर से साइबेरियाई रंग-बिरंगी पक्षी, सितम्बर से अक्टूबर तक यहाँ अपना डेरा जमा लेते हैं और फरवरी-मार्च तक अपना डेरा बनाये रखते हैं और इन आर्द्रभूमियों की पारिस्थितिकी में ही अपना वास स्थान कायम कर अपनी प्रजनन क्रिया भी पूरी करते हैं और ग्रीष्म ऋतु प्रारम्भ होते ही अपने परिवार सहित अपने मूल देश को वापस चले जाते हैं। यह प्रक्रिया प्रतिवर्ष होती है, किन्तु अफसोस अनियंत्रित एवं अनियमित तरीकों से इन पक्षियों का एक बड़ी संख्या में शिकार किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप इनके आगमन में भी कमी होने लगी है।

बिहार की इन आर्द्रभूमियों में जो मछलियाँ पायी जाती हैं वो दुर्लभ प्रकार

की होती हैं, जिसमें से केवाई मछली विशेष प्रसिद्ध रही है, किन्तु अब ये समाप्त के कगार पर हैं। इसी तरह चावल की कुछ खास किस्में जिनमें बोरो एवं देसरिया मुख्य हैं, इनकी खेती भी अब नहीं के बराबर होती है। धान की इन प्रजातियों की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि बढ़ते हुए जल स्तर के साथ ही इनका पौधा भी बढ़ता जाता है, जिससे पौधा नष्ट नहीं होता है और इससे प्राप्त चावल अत्यंत ही स्वादिष्ट एवं पोषक तत्वों से भरपूर होता है।

इन आर्द्रभूमियों में प्रायः विविध प्रकार की पादप प्रजातियाँ, पक्षियों की प्रजातियाँ एवं जलीय जीवों की प्रजातियाँ एक दूसरे पर निर्भर रहती हैं एवं खाद्य श्रृंखला के तहत ही अपना भरण-पोषण करते हुए अपना विकास करते हुए आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी को सुरक्षित बनाये रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अभी हाल ही में एक मृदा विज्ञान के अध्ययन में यह तथ्य सामने आया है कि इन आर्द्रभूमियों की तलहटी में पायी जाने वाली



आर्द्रभूमियों में विविध प्रकार की प्रजातियाँ पायी जाती हैं।

वर्तमान समय में जलीय कृषि की रीढ़ माने जाने वाली ये आर्द्रभूमियाँ धीरे-धीरे समाप्त होती जा रही हैं। अनेक आर्द्रभूमियों का तो अस्तित्व ही मिट गया है। आज आवश्यकता है, इनके एकीकृत विकास की। कुछ कृषक तो निजी तौर पर अपनी आर्द्र भूमि क्षेत्र को एकीकृत कृषि क्षेत्र में बदलने का प्रयास भी कर रहे हैं, किन्तु उन्हें कोई सरकारी सहायता नहीं प्राप्त हो रही है, जबकि उत्तरी बिहार की अर्थव्यवस्था तो बहुत हद तक इन जलीय कृषि पर ही निर्भर है।

मिट्टी किसी भी उर्वरक से अधिक गुणवत्ता रखती है, इसका कारण है कि इन आर्द्रभूमियों में जो भी पादप एवं जीव-जन्तु अपना जीवन समाप्त करते हैं, उनके जीवाश्म भी सड़-गलकर मिट्टी के साथ मिलकर मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देते हैं। यही नहीं इन आर्द्रभूमियों की पासवर्ती मिट्टी की पारिस्थितिकी भी अत्यंत समृद्ध होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि ये आर्द्रभूमियाँ पादप पारिस्थितिकी, मृदा पारिस्थितिकी, जीव पारिस्थितिकी एवं जलीय पारिस्थितिकी को समृद्ध बनाये रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसी तरह बिहार की ये समृद्ध आर्द्रभूमियाँ इस राज्य की खाद्यान्न समस्या का समाधान करने में भी अहम भूमिका निभा सकती हैं

समस्याएँ

वर्तमान समय में जलीय कृषि की रीढ़ माने जाने वाली ये आर्द्रभूमियाँ धीरे-धीरे समाप्त होती जा रही हैं। अनेक आर्द्रभूमियों का तो अस्तित्व ही मिट गया है। आज आवश्यकता है, इनके एकीकृत

विकास की। कुछ कृषक तो निजी तौर पर अपनी आर्द्र भूमि क्षेत्र को एकीकृत कृषि क्षेत्र में बदलने का प्रयास भी कर रहे हैं, किन्तु उन्हें कोई सरकारी सहायता नहीं प्राप्त हो रही है, जबकि उत्तरी बिहार की अर्थव्यवस्था तो बहुत हद तक इन जलीय कृषि पर ही निर्भर है।

बिहार राज्य में आर्द्रभूमियों की बहुलता के बावजूद एवं उनकी महत्ता के बावजूद भी अभी तक इन आर्द्रभूमियों के समुचित विकास हेतु किसी उचित निकाय की स्थापना नहीं की गयी है। यद्यपि सन् 2012 में बिहार राज्य सरकार द्वारा एक “दलदली भूमि विकास प्राधिकरण” की स्थापना अवश्य की गयी, किन्तु अभी तक उसका समुचित गठन नहीं हो पाया है। यद्यपि वर्तमान समय में भूमि विकास प्राधिकरण, वन विभाग एवं पर्यावरण विभाग द्वारा आर्द्रभूमि विकास हेतु अनेक तरह से प्रयास किये जा रहे हैं, किन्तु अभी उसका सार्थक प्रतिफल नहीं प्राप्त हो रहा है। नीतिगत आधार पर राज्य सरकार द्वारा अभी तक आर्द्रभूमि विकास एवं

जलीय कृषि के विकास हेतु कोई योजना नहीं बनायी गयी है। नीतिगत प्रबंध न होने से मत्स्य उत्पादन, मखाना उत्पादन, चावल उत्पादन एवं सिंघाड़ा उत्पादन में कमी आती जा रही है। बल्कि यह कहा जा सकता है कि सभी प्रकार की जलीय कृषि के उत्पादन क्षेत्र एवं उत्पादकता में कमी होती जा रही है।

निष्कर्ष

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि यदि बिहार की आर्द्रभूमियों एवं उनमें की जा रही जलीय कृषि का नीतिगत आधार पर नियोजन के तहत विकास किया जाय एवं एकीकृत कृषि के रूप में जलीय कृषि को विकसित किया जाय तो निःसंदेह बिहार राज्य के ये क्षेत्र न केवल अपना भरण-पोषण कर पायेंगे, बल्कि इन जलीय कृषि के उत्पादों का अन्य राज्यों एवं विदेशों में निर्यात भी किया जा सकेगा जिससे यहाँ की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो सकती है। यही नहीं, इस क्षेत्र की खाद्यान्न समस्या का समाधान होने के साथ ही साथ जब इस क्षेत्र के लोगों को इससे रोजगार प्राप्त होगा तो जनसंख्या का पलायन भी रुक सकेगा और यह क्षेत्र एक समृद्धशाली क्षेत्र बन जायेगा।

संपर्क करें:-

डॉ. गणेश कुमार पाठक
अमर नाथ मिश्र पी.जी कालेज
दूबेठपरा, बलिया (उ.प्र.)

ईमेल: drgkpathakgeo@gmail.com